

(41)

न्यायालय सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा मु. भीनमाल जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी -दौलतराम चौधरी आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या -05/2017

वादी :-

भोलाराम पुत्र जुंजाजी जाति रेबारी निवासी रामसीन तहसील
जसवंतपुरा जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. स्व. गोमाराम पुत्र जुंजाजी के कायम मुकाम वारिसान :-

1 राणाराम पुत्र गोमाराम

2 फताराम पुत्र गोमाराम

3 वचनाराम पुत्र गोमाराम

4 भीमाराम पुत्र गोमाराम

5 सुश्री पेपी पुत्री गोमाराम

6 झमूदेवी पत्नी स्व. गोमाराम जातियान रेबारी निवासीगण रामसीन
तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

प्रतिवादी संख्या 1(5) नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता प्रतिवादी
संख्या 1(6) झमूदेवी

7 मेथोदेवी पुत्री गोमाराम पत्नी हाजाराम जाति रेबारी निवासी
सुमेरगढ तहसील आहोर जिला जालोर

8 मंजूदेवी पुत्री गोमाराम पत्नी राणाराम जाति रेबारी निवासी वाडका
तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

9 पारुदेवी पुत्री गोमाराम पत्नी अमराराम जाति रेबारी निवासी
मालपुरा तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

10 सुजीदेवी पुत्री गोमाराम पत्नी वरदाराम जाति रेबारी निवासी
वाडका तहसील जसवंतपुरा जिला जालोर

2. जीवाराम पुत्र जुंजाजी जाति रेबारी निवासी रामसीन तहसील
जसवंतपुरा जिला जालोर

3. राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

दावा बाबत विभाजन खातेदारी भूमि व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा
53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 31-1-2018

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2017 को
प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा रामसीन तहसील
जसवंतपुरा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1432 रकबा 0.6067 हैक्टेयर
का मौके एवं माफिक राजस्व रेकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रास्ते की सुविधा
को मददेनजर रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के विभाजन किया जाकर विभाजन
के प्रस्ताव विभिन्न रंगों में दर्शाते हुए लगान आदि निश्चित कर तहसीलदार
जसवंतपुरा से से वाहे जाने पर तहसीलदार जसवंतपुरा द्वारा निम्नानुसार विभाजन
के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :-

सहायक कलेक्टर जसवंतपुरा
मुख्यालय भीनमाल

(42)

वादी भोलाराम पुत्र जुंजाजी कौम रेबारी सा. रामसीन के बंट में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2022	बारानी प्रथम	1.2132	हरा
प्रतिवादी संख्या 1 गोमाराम के उत्तराधिकारी राणाराम, फताराम वचनाराम भीमाराम पि. गोमाराम मेथी पारु मंजू सूजी पेपी पुत्रिया गोमाराम झमू देवी पत्नी गोमाराम के बंट में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2023	बारानी प्रथम	1.2138	गुलाबी
प्रतिवादी संख्या 2 जीवाराम पुत्र जुंजाजी कौम रेबारी सा. रामसीन के हिस्से में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2022	बारानी प्रथम	1.2132	स्काई ब्ल्यू

उक्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उक्त प्रस्ताव पर किसी प्रकार की कोई उजर आपति लिखित में या मौखिक रूप में प्राप्त नहीं हुई है तथा वादीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त मामले में उक्त विभाजन के प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री सादिर किये जाने का निवेदन किया गया। फलस्वरूप विभाजन की अंतिम डिक्री तहसीलदार जसवंतपुरा के विभाजन प्रस्ताव अनुसार एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी प्रकार की उजर आपति प्राप्त नहीं होने से विभाजन की अंतिम डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः विभाजन की अंतिम डिक्री निम्नानुसार सादिर की जाती है :-

वादी भोलाराम पुत्र जुंजाजी कौम रेबारी सा. रामसीन के बंट में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2022	बारानी प्रथम	1.2132	हरा
प्रतिवादी संख्या 1 गोमाराम के उत्तराधिकारी राणाराम, फताराम वचनाराम भीमाराम पि. गोमाराम मेथी पारु मंजू सूजी पेपी पुत्रिया गोमाराम झमू देवी पत्नी गोमाराम के बंट में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2023	बारानी प्रथम	1.2138	गुलाबी
प्रतिवादी संख्या 2 जीवाराम पुत्र जुंजाजी कौम रेबारी सा. रामसीन के हिस्से में				
ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	रंग
1432	0 2022	बारानी प्रथम	1.2132	स्काई ब्ल्यू

एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है कि पक्षकारान के बंट में आई आराजी के हिस्से व कब्जे कास्त में एक दुसरे में दखल अंदाजी नहीं करे एवं नहीं किसी से करावे। तहसीलदार जसवंतपुरा को माफिक निर्णय तहशीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (दौलतराम चौधरी)
 सहायक कलेक्टर
 मुख्यालय भवन
 जसवंतपुरा